विभिन्न विभागों द्वारा विकलांग जन हेतु प्रदत्त सुविधाओं एवं योजनाओं से सम्बन्धित

शासनादेशों का संकलन

निदेशालय विकलांग कल्याण,
दसवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ
फोन : 0522-2287267,2288594
फैक्स : 0522-2287089,2286188

विषय–सूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
1	विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	1 से 6
2	चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश	7 से 8
3	कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश	9 से 24
4	नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	25
5	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	26 से 30
6	कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश	31 से 32
7	(वित्त) वेतन आयोग	32 से 33
8	खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश	33 से 34
9	शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	35 से 36

संख्या-1464 / 65-2-2000-178 / 2000

प्रेषक,

नेतराम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
विकलांग कल्याण, उ0प्र0
लखनऊ

विकलांग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2000

विषय : विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित नियमावलियों में पात्रता के लिए विकलांग की समान परिभाषा का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन निम्नलिखित नियमावलियों के अन्तर्गत किया जा रहा है -

(1) शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण बाधित छात्रों के शैक्षिक वृत्तिक अध्ययन और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने की नियमावली (छात्रवृत्ति-कक्षा 1 से 12 तक स्नातक स्नातकोत्तर एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु)

(2) नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग, निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन) स्वीकृत करने की नियमावली।

(3) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु सहायक अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली।

(4) विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली, 1997।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली, 1998।

(6) उत्तर प्रदेश विकलांग व्यक्ति के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण नियमावली, 1988।

2- विभाग उक्त प्रचलित 6 नियमावलियों में विकलांग व्यक्ति के लिए सम्बन्धित योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता के लिए विकलांगता की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं निर्धारित हैं, जिसके कारण विभाग की योजनाओं से लाभ उठाने हेतु विकलांग व्यक्तियों को एवं प्राधिकृत चिकित्सकों, वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारी को विकलांगता प्रमाण-पत्र देने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है एवं ऐसे विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं में याचित लाभ देने में योजना से सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों में भी भ्रम की स्थिति है। परिणामस्वरूप विकलांग व्यक्तियों को विभाग की विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से निःशुल्क बस यात्रा सुविधा का लाभ प्राप्त करने में असुविधा एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

3- अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त कठिनाई के निवारण का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदार) अधिनियम, 1995 प्रख्यापित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है, जिसमें धारा-2 (न) में निःशक्त (विकलांग) व्यक्तियों की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है -

2-(न) निःशक्त (विकलांग) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी चिकित्साधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता से कम से कम 40 प्रतिशत से ग्रस्त है।

उक्त अधिनियम, 1995 की धारा-2 में निःशक्तता (विकलांगता) की श्रेणियों एवं उनकी परिभाषाएं निम्नानुसार दी गई हैं -

2-(ख) दृष्टिहीनता-उस अवस्था के प्रति निर्देश करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित है, अर्थात

(1) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव या

(2) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आंख में 6 / 60 या 20 / 200 (स्नेलन) से अनाधिक दृष्टि की तीक्ष्णता, या

(3) दृष्टि क्षेत्र की सीमा का 20 डिग्री के कोण के कक्षांतरकारी होना या अधिक खराब होना।

2-(य) कम दृष्टि वाला व्यक्ति - से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके उपचार या मानक उपवर्धनीय संशोधन के बावजूद दृष्टि सम्बन्धीकृत ह्रास हो गया है और जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव रूप से समर्थ है।

2-(क) कुष्ठ रोग से मुक्त-से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है किन्तु निम्नलिखित से ग्रसित है-

(1) जिसके हाथों या पैरों में संवेदना की कमी और नेत्र और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घात है किन्तु कोई प्रकट विरूपता नहीं है।

(2) प्रकट विकलांगताग्रस्त और आंशिक घात है किन्तु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वे सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप कर सकते हैं।

(3) अत्यन्त शारीरिक विरूपांगता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उन्हें कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है और 'कुष्ठ रोग से मुक्त' मद का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा।

2-(द) श्रवण ह्रास- से अभिप्रेत है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीवल या अधिक की हानि।

2-(ण) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता - से हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो।

2-(द) मानसिक मंदता - से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था है जो विशेष रूप से सामान्य बुद्धिमता की अवसामान्यता द्वारा प्रकट होती है, अभिप्रेत है।

2-(थ) मानसिक बीमारी - से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है।

4- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभाग की उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित 6 नियमावलियों में सम्बन्धित योजना का लाभ उठाने हेतु पात्रता के लिए निर्धारित विकलांगता की परिभाषा के स्थान पर उक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित परिभाषाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री राज्यपाल उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित नियमावलियों में निर्धारित विकलांगता की विभिन्न श्रेणी की पात्रता की परिभाषाओं को तात्कालिक प्रभाव से संशोधित करते हुए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उक्त प्रस्तर-3 में उद्धरित धारा-2 की परिभाषाओं के अनुसार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

तद्नुसार प्रस्तर-1 में उल्लिखित विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त अधिनियम, 1995 की उद्धरित धारा-2 में परिभाषित विकलांगता की श्रेणियों में से किसी एक या अधिक श्रेणी में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत अथवा अधिक निःशक्तता (विकलांगता) का प्रमाण-पत्र धारी निःशक्त (विकलांग) व्यक्ति पात्र होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित प्रस्तर-1 की मात्र दो योजनाओं निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) एवं विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की योजनाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।

भवदीय
नेतराम
सचिव

संख्या-1464(1)/65-2-2000-178/2000, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
6- निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश
8- समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश
9- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश को व्यापक प्रचार हेतु।
11- निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
12- निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ

आज्ञा से
नेतराम
सचिव

संख्या-2041 / 65-1-2003-156 / 2003

प्रेषक,

वी. के. दीवान
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

विकलांग कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2003

विषय : विकलांग कार्मिक अथवा ऐसे कर्मचारी जिनके आश्रित विकलांग हो, को वार्षिक स्थानान्तरण से छूट प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिकों जिनके आश्रित परिवारजन विकलांगता से प्रभावित है, के स्थानान्तरण किए जाने पर उन्हें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक ओर जहां विशेष प्रकार की विकलांगता का उपचार हर स्थान पर सम्भव नहीं होता है, वहीं दूसरी ओर चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (लोकोमीटर डिसएबिलिटी) से ग्रस्त विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनाये गए आवास एवं शौचालयों की सुविधा से भी वंचित होना पड़ता है और नये स्थान पर पुनः ऐसे आवास एवं शौचालयों को निर्मित कराने में कठिनाई होती है। उपरोक्त के अतिरिक्त विकलांग कार्मिकों को स्थानान्तरण किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से अलग होने पर उनकी देखभाल ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है और वे अपने को सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारजन विकलांगता से प्रभावित हो, को सामान्यः स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाए और विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से किए जाये।

विकलांगता की परिभाषा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि निःशक्तजन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के अध्याय-1, धारा-2 में जैसी परिभाषा दी गई है, वहीं विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होगी, जिसका निर्धारण शासनादेश संख्या-1464 / 65-2-2000-178 / 2000, दिनांक 30 सितम्बर, 2000 द्वारा किया गया है।

विकलांगों के आश्रित परिवारजन का तात्पर्य उनके माता-पिता, पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र-पुत्री से है जो उनके ऊपर पूर्ण आश्रित हो और किसी व्यवसाय में न लगे हों।

सरकारी अधिकारी / कर्मचारी के वार्षिक स्थानान्तरण के बारे में कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1 / 3 / 96-का-4 / 2003, दिनांक 12 मई, 2003 व उसके साथ पठित शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2001 और समय-समय पर वार्षिक स्थानान्तरण नीति के बारे में कार्मिक विभाग के द्वारा जारी शासनादेश में निहित व्यवस्था यथावत लागू मानी जायेगी।

कृपया स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाई नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
(वी.के. दीवान)
मुख्य सचिव

संख्या-2041(1) / 65-1-2003, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
2. निदेशक, विकलांग कल्याण, उ.प्र., लखनऊ

आज्ञा से
(रोहित नन्दन)
सचिव

संख्या-137 / 65-1-2008-380 / 96

प्रेषक,

वी. एम. मीना
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्क्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2008

विषय : उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचरियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या'916 / 65-1-1980 दिनांक 19 जून, 2000 द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचरियों को अपने कार्यस्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों के अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था तथा इसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते के नाम दिया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय उक्त कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ-3 उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें (रूपए प्रतिमाह)
1	2	3
1	रू. 3049 तक	300 / -
2	रू. 3050 से 5999 तक	400 / -
3	रू. 6000 से अधिक	500 / -

2- उक्त के अतिरिक्त शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय, मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम कोटि के प्रधानाध्यापकों / प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों / अध्यापिकाओं को उक्त शासनादेश संख्या 916 / 65-1-2000 दिनांक 19 जून 2000 के अन्तर्गत अनुमन्य वाहन भत्ता को निम्नवत पुनरीक्षत किए जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	पदनाम	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें (रूपए प्रतिमाह)
1	2	3
1	प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका	500 / -
2	अध्यापक / अध्यापिका	400 / -

3- उपरोक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा, उसे सम्बन्धित विभाग अपने-अपने आय-व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक / प्राथमिक इकाई में तद्नुसार व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।

4- उक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या - सा(2)/517/दस : 2008 दिनांक 08/5/08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(बी.एम. मीना)

प्रमुख सचिव

संख्या-137(1)/65-1-2008/380/96, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम)/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ
3. श्री राज्यपाल के सचिव
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. ब्यूरो ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज विभाग।
8. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-3, वित्त सामान्य अनुभाग-4 एवं वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण अनुभाग (दो प्रतियों में)
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग।
10. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. गार्ड फाइल।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

अनुसचिव

संख्या-1133 / 65-2-2009 / 150 / 09

प्रेषक,

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2009

विषय : विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत पात्र व्यक्ति का नाम ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित न किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विकलांग पेंशन हेतु यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम ग्रामसभा प्रस्तावित नहीं करती है तो सम्बन्धित व्यक्ति नगर मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात सम्बन्धित अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों से पात्रता की जांच कराकर उन्हें पेंशन स्वीकृत कर सकते हैं।

2- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय
(शैलेष कृष्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या-1133(1) / 65-2-2009, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से समस्त विभागीय जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(राम राज सिंह यादव)
विशेष सचिव

संख्या-1745 / 5-7-2005-पन्द्रह-7 / 2002

प्रेषक,

लीना जौहरी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2005

विषय : विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 1466 / 5-7-2003-पन्द्रह-7 / 2002 दिनांक 2.7.2003 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-125 / 5-7-2004-पन्द्रह-07 / 2002 दिनांक 19 जनवरी, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने हेतु निम्नलिखित को भी अधिकृत किया जाता है-

(क) डा. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ में स्थापित स्टेट रैफरेल सेन्टर में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए **मानसिक विकलांगता तथा श्रवण बाधा** के सर्टिफिकेशन के लिए उक्त चिकित्सालय के मुख्य अधीक्षक को मुख्य चिकित्साधिकारियों की भांति अधिकृत किया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ की अध्यक्षता में विकलांगता परीक्षण हेतु गठित कमेटी में 01 साइक्याट्रिक, 01 ई.एन.टी. सर्जन तथा 01 आर्थोपेडिक सर्जन सम्मिलित होगा।

(ख) **मानसिक विकलांगता तथा श्रवण विकलांगताओं** के लिए रेलवे, सेना तथा सी.जी.एच.एस. चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित विकलांगता के आधार पर विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय तथा इस स्तर पर प्रमाणीकरण के कारण पुनः विकलांगता के एसेसमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। किसी प्रकरण विशेष में मेडिकल बोर्ड को उपरोक्त संस्थाओं द्वारा दिए गए एसेसमेंट पर यदि शंका हो तो, पुनः एसेसमेंट कराया जा सकेगा।

2. उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय
(लीना जौहरी)
विशेष सचिव

संख्या-1745 / 5-7-2005-पन्द्रह-7 / 2002, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, विकलांग कल्याण अनु-1 उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ.प्र., लखनऊ
3. निदेशक, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ
4. समस्तअपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण मानसिक रोग विभाग सी.एस.एम. मेडिकल यूर्निवसिटी, लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से
(लीना जौहरी)
विशेष सचिव

महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या-1893 / पांच-7-2005-पन्द्रह-7 / 2005

प्रेषक,

लीना जौहरी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2005

विषय : विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 1466 / 5-7-2003-पन्द्रह-7 / 2002 दिनांक 2.7.2003 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-125 / 5-7-2004-पन्द्रह-07 / 2002 दिनांक 19 जनवरी, 2004 एवं संख्या 1745 / 5-7-2000 दि. 12.9.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 2.7.2003 के पैरा-4 में में आंशिक संशोधन करते हुए विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने हेतु निम्नलिखित को भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है-

1. आर्मी में तथा केन्द्र सरकार में कार्यरत या सेवानिवृत्त मानसिक रोग विशेषज्ञों तथा क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट्स द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किए गए परीक्षणों के उपरान्त जारी किया गया मानसिक विकलांगता प्रमाण-पत्र भी, स्थानीय मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त मान्य होगा।

2. इसी क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विकलांग बोर्ड में बुलाए जा रहे निजी क्षेत्र के मानसिक रोग विशेषज्ञों एवं क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट को कुछ धनराशि मानसिक विकलांग अभ्यार्थियों के अभिभावकों से प्राप्त कर उन्हें फीस के रूप में भुगतान किया जाए। इसके लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को माह में एक या दो बार ही बोर्ड में तब बुलाया जाय जबकि मानसिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वालों की संख्या सात या इससे अधिक हो। इन अभ्यार्थियों के अभिभावकों से मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ली जाने वाली फीस के बराबर फीस ली जायेगी तथा एकत्र फीस का 60 प्रतिशत मानसिक रोग विशेषज्ञ को तथा 40 प्रतिशत क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट को प्रति अभ्यर्थी की दर से फीस का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में अभिभावकों द्वारा भुगतान की गई फीस की रसीद भी जारी की जाए और इसका पूरा लेखा-जोखा रखा जाए।

भवदीय
(लीना जौहरी)
विशेष सचिव

संख्या-1893(1) / 5-7-2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग-1 / समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ.प्र., लखनऊ
3. निदेशक, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ
4. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से
(लीना जौहरी)
विशेष सचिव

अनुबन्ध-22 'ख'

संख्या-36025/3/97-स्थापना (आर.एस)
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली : दिनांक 4 जुलाई, 1997

कार्यालय ज्ञापन

विषय : 'पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण'।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 18.8.1997 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 36025/1/95-स्थापना (एस.सी.टी.) के प्रति ध्यान आर्कर्षित करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार के समक्ष यह अभ्यावेदन किया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी निर्धारित रजिस्टर में मुद्दा संख्या 33, 67 और 100 के निर्धारण का अर्थ यह होगा कि विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए अपनी बारी आने का लम्बे समय तक इंतजार करना होगा। इस सुझाव पर विचार किया गया है और अब उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन का आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 100 प्वाइंट रजिस्टर में 100 रिक्तियों के चक्र में मुद्दा संख्या 1, 34 और 67 को विकलांगों के आरक्षण के लिए निर्धारित किया जाए। पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

2- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक समूह 'ग' और 'घ' के पदों का संबंध है विकलांग व्यक्त्यिों के लिए रिक्त पदों की गणना पद्धति वैसी ही होगी जैसा कि इस विभाग के दिनांक 20.11.89 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/8/85-स्थापना (एस.सी.टी.) में व्यवस्थित है।

भवदीय
(वाई. जी. परांदे)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या- 18/1/2008-का-2-2008
लखनऊः दिनांक : 03 फरवरी, 2008

कार्यालय ज्ञापन

लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियों के प्रक्रम पर विकलांगों को आरक्षण अनुमन्य कराने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित प्रख्यापित है। विकलांगों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्संबंधी प्रक्रिया तथा आरक्षण संबंधी रोस्टर के क्रियान्वयन इत्यादि बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं दिनांक 26.4.2006 निर्गत किया गया है।

2- भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरांकित कार्यालय ज्ञाप में विहित प्राविधानों/प्रक्रियाओं को सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों के प्रक्रमों पर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः विकलांगों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण की अनुमन्यता विषयक संदर्भगत कार्यालयों ज्ञापों में विहित प्राविधानों/अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देशों को संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्नक में उल्लिखित प्राविधानों/प्रक्रियाओं को सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए कृपया सभी स्तरों पर उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- विकलांगों के आरक्षण के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप से पूर्व निर्गत शासनादेश उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापों में विहित प्राविधानों से असंगति की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय
(जे. एस. दीपक)
प्रमुख सचिव

ससंख्या-18/1/2008/का-2/2008, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(नन्दलाल प्रसाद)
अनुसचिव

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29,12. 2005 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.04.2006 में उल्लिखित प्राविधान एवं दिशा निर्देश।

1- विकलांगों हेतु आरक्षण की मात्रा-

(I) समूह क, ख, ग और घ पदों पर सीधी भर्ती के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियां, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेगी जिसमें से एक-एक प्रतिशत रिक्तियां - (I) श्रवण ह्रास और (II) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उन विकलांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होगी।

(II) समूह 'घ' और 'ग' पदों पर जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नही हो, पदोन्नति के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियां विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी, जिसमें से एक-एक प्रतिशत रिक्तियां (i) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (ii) श्रवण ह्रास और (iii) चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उन विकलांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी।

2- विकलांगों हेतु आरक्षण से छूट -

यदि कोई विभाग विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्राविधान से किसी प्रतिष्ठान को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे प्रस्ताव का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विकलांग कल्याण विभाग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को संदर्भ प्रेषित कर सकता है। छूट प्रदान किए जाने के बारे में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विचार किया जायेगा। मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त विकलांग कल्याण विभाग द्वारा छूट प्रदान करने के विषयक आदेश निर्गत किए जायेंगे।

3- उपयुक्त नौकरियों/पदों की पहचान-

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का तथा ऐसे सभी नौकरियों/पदों से संबन्धित शारीरिक अपेक्षाओं का पता लगा लिया है। उक्त अधिसूचनाओं में दर्शायी गई समय-समय पर यथा संशोधित नौकरियां/पद, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों का तीन प्रतिशत आरक्षण को प्रभाव में लाने के लिए प्रयोग में लायी जाएंगी। तथापि, यह ध्यान रहे कि -

(क) किसी नौकरी/पद के लिए प्रयुक्त नामावली में सदृश्य कामकाज वाली अन्य तुलनीय नौकरियों/पदों के लिए प्रयुक्त नामावली भी शामिल होगी।

(ख) विकलांग कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित नौकरियों/पदों की सूची विशेष (Exhaustive) नहीं है। सम्बन्धित विभागों को विकलांग कल्याण विभाग पहले से ही उपयुक्त पहचानी गई नौकरियों/पदों के अतिरिक्त नौकरियों /पदों की पहचान करने का विवेकाधिकार होगा। तथापि कोई भी विभाग/प्रतिष्ठान अपने विवेकाधिकार से उपयुक्त पहचानी गई किसी नौकरी /पद को आरक्षण के दायरे से अपवार्जित नहीं कर सकेगा।

(ग) यदि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचानी गई कोई नौकरी/पद वेतनमान में अथवा अन्यथा बदलाव के कारण एक समूह अथवा ग्रेड से किसी दूसरे समूह अथवा ग्रेड में तब्दील हो जाय तो भी वह नौकरी/पद उपयुक्त पहचाना गया बना रहेगा।

4- एक अथवा दो श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षण -

यदि कोई पद विकलांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिन्हित किया गया हो तो उस पद में आरक्षण उस विकलांगता वाले व्यक्तियों को ही दिया जायेगा। ऐसे मामलों में तीन प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण, उस विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जायेगा जिसके लिए वह चिन्हित किया गया हो, इसी तरह किसी पद के किलांगता की दो श्रेणियों के लिए चिन्हित किए गए होने की स्थिति में जहां तक सम्भव हो आरक्षण विकलांगता की उन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच सामान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान मे आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि विकलांगता की तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यथासम्भव, समान प्रतिनिधित्व मिले।

5- अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति -

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किए गए पदों में, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्त पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नही किया जा सकता इस तरह विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

6- अपनी ही योग्यता पर चयनित उम्मीदवार का समायोजन -

मानदण्डों में बिना किसी शिथिलीकरण के अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गए विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किए जायेंगे। आरक्षित रिक्तियों, विकलांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग भरी जाएंगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे विकलांग उम्मीदवार सम्मिलित होंगे जो योग्यता सूची में अंतिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचे होंगे, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा यदि आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से उपयुक्त पाये जाएंगे। ऐसा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों मामलों में जहां भी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण अनुमन्य हो, लागू होगा।

7- विकलांगताओं की परिभाषा -

विचाराधीन कार्यालय - ज्ञाप के प्रयोजन से विकलांगता की श्रेणियों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं -

(क) दृष्टिहीनता का तात्पर्य ऐसे परिस्थिति से है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो अर्थात् -

(1) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव, या

(2) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर लेंसाों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्षणता, या

(3) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना।

(4) 'कम दृष्टि' ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात भी दृष्टि संबंधी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित सहायक व्यक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो।

(ख)'श्रवणह्रास' का तात्पर्य सम्वाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि से है।

(ग) 'चलनक्रिया' संबधीनिःशक्तता का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों को ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्कीय अंगघात हो।

(कक)'प्रमस्तिष्कीय अंगघात का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन या शैशवकाल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से परिणामिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।

8- आरक्षण के लिए विकलांगता की मात्रा

केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत विकलांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-1) में जारी किया गया विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9- विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिससे कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य चलनक्रिया सम्बंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की विकलांगता/श्रवण ह्रास जैसा भी मामला हो, का मूल्याकंन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

10- मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात स्थायी विकलांगता के ऐसे मामले में स्थायी विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जहां विकलांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों में प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि इंगित करेगा जिनमें विकलांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से तब तक इंकार नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाए। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।

11- नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर आरम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति के समय वह यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

12- आरक्षण की गणना -

समूह 'ग' और 'घ' पदों के मामले में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह 'ग' अथवा समूह 'घ' पदों में होने वाली रिक्तिकाएं की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी, यद्यपि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती केवल उनके लिए उपयुक्त चिन्हित किए गऐ पदों पर की जायेगी। किसी अधिष्ठान में समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली अंतिम रिक्तियों की संख्या का आंकलन, अधिष्ठान के अन्तर्गत उपयुक्त चिन्हित किए गए और उपयुक्त न चिन्हित किए गए दोनों तरह के समूह 'ग' पदों में एक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखकर की जाएगी। यही प्रक्रिया समूह 'घ' पदों पर लागू होगी। इसी प्रकार समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण का आंकलन करते समय, पदोन्नति कोटे के सभी रिक्तियों को ध्यान में रखा जायेगा चूंकि आरक्षण चिन्हित किए गए पदों तक ही सीमित है और आरक्षित रिक्तियों की संख्या का आंकलन चिन्हित/अचिन्हित किए गए पदों में कुल रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, अतः किसी चिन्हित किए गए पद पर आरक्षण द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या 03 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

13- समूह 'क' पदों में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का आंकलन, अधिष्ठान में समूह 'क' के सभी उपयुक्त चिन्हित किए गए पदों में सीधी भर्ती कोटे में होने वाली रिक्तियों के आधार पर किया जायेगा। आंकलन का यह तरीका समूह 'ख' पदों के लिए भी लागू है।

14- आरक्षण लागू करना-रोस्टरों का रख-रखाव-

(क) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने /लागू करने के लिए सभी अधिष्ठान, अनुलग्नक-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार 100 बिन्दुओं वाला रोस्टर बनायेंगे। सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'क' पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ख' पदों के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' पदों के लिए पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' पदों के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' पदों के लिए पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' पदों के लिए अलग-अलग एक-एक आरक्षण रोस्टर होगा।

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिन्दुओं के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र तीन खण्डों में विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगे :-

प्रथम खण्ड - बिन्दु संख्या - 1 से बिन्दु संख्या - 33

द्वितीय खण्ड - बिन्दु संख्या - 34 से बिन्दु संख्या - 66

तृतीय खण्ड - बिन्दु संख्या - 67 से बिन्दु संख्या - 100

(ग) रोस्टर के 1, 34 और 67 संख्या के बिन्दु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित चिन्हित किए जायेंगे जिनमें विकलांगता की तीनों श्रेणियों के लिए एक-एक बिन्दु होगा। अधिष्ठान अध्यक्ष सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करेगा कि बिन्दु संख्या 1, 34 और 67 किसी श्रेणी के विकलांगों के लिए आरक्षित होंगे।

(घ) अधिष्ठान में सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत समूह 'ग' पदों में होने वाली सभी रिक्तियों की प्रविष्टि, संगत रोस्टर रजिस्टर में की जायेगी। यदि बिन्दु संख्या-1 पर आने वाला पद, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पहचाना गया है अथवा अधिष्ठान अध्यक्ष इसे विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना वांछनीय नहीं समझता है अथवा इसे किसी भी कारण से विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाना सम्भव नहीं है तो बिन्दु संख्या-2 से 33 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली किसी रिक्ति को विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आरक्षित माना जायेगा और इसे तद्नुसार भरा जायेगा। इसी प्रकार बिन्दु संख्या-34 से 66 तक अथवा 67 से 100 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्ति को विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरा जायेगा। बिन्दु संख्या-1, 34 और 67 का आरक्षित रखने का उद्देश्य बिन्दु 1 से 33 तक की प्रथम उपलब्ध रिक्ति, बिन्दु संख्या - 34 से बिन्दु संख्या - 66 तक प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति और बिन्दु संख्या - 67 से बिन्दु संख्या - 100 तक की प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्तियां को विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से भर जाने का है।

(ड.) इस बात की सम्भावना है कि बिन्दु संख्या-1 से 33 तक कोई भी रिक्ति, विकलांगता से ग्रस्त किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त न हो। उस स्थिति में बिन्दु संख्या-34 से 66 तक 02 रिक्तियों, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्त्यिों से आरक्षित रिक्त्यिों के रूप में भरी जायेंगी। यदि बिन्दु संख्या-34 से 66 तक की रिक्तियां किसी श्री श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं हो तो बिन्दु संख्या-67 से 100 तक के तीसरे खण्ड में से तीन रिक्तियां नहीं की जा सकती हो तो वह अगले खण्ड में अग्रनीत की जाएगी।

(च) रोस्टर के सभी 100 बिन्दु पूरे होने के पश्चात, 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र शुरू होगा।

(छ) यदि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या केवल इतनी है कि उसमें केवल एक अथवा दो खण्ड ही आते हैं तो इसका विवेकाधिकार अधिष्ठान के अध्यक्षत मे निहित होगा कि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस श्रेणी को पहले समायोजित किया जाय। तथा इस बात का निर्णय अधिष्ठान द्वारा, पद के स्वरूप, संबंधित ग्रेड/पद इत्यादि में विकलांगता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधि के स्तर के आधार पर किया जायेगा।

(ज) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले समूह 'ग' पदों के लिए एक अलग से रोस्टर बनाया जायेगा और विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को आरक्षण दिए जाने के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसी तरह समूह 'घ' पदों के लिए भी दो अलग रोस्टर बनाए जायेंगे, एक सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए और दूसरा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए।

(झ) समूह 'क' और समूह 'ख' पदों में आरक्षण का निर्धारण, केवल उपयुक्त चिन्हित किए गए पदों की रिक्तियों के आधार पर ही किया जाएगा। अधिष्ठानों में समूह 'क' पदों और समूह 'ख' पदों के लिए अलग-अलग रोस्टरों का रख-रखाव किया जाएगा। समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के लिए रखे गए रोस्टरों में चिन्हित किए गए पदों में होने वाली सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों की प्रविष्टि की जाएगी और ऊपर वर्णित तरीके के अनुसार ही आरक्षण लागू किया जाएगा।

15- सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की आपसी अदला-बदली और अग्रनीत किया जाना-

इस सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

16- पदोन्नति के मामले में विचारण क्षेत्र परस्पर आदान-प्रदान और अग्रनीत आरक्षण-

(क) आरक्षित रिक्तियों को योग्यता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरते समय सामान्य विचारण के क्षेत्र में आने वाले विकलांग उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। जहां सामान्य विचारण क्षेत्र में विकलांगों की उपयुक्त श्रेणी के विकलांग उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, वहां विचारण क्षेत्र रिक्तियों की संख्या का पांच गुना बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाए गए विचारण क्षेत्र में आने वाले विकलांग उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। यदि बढ़ाए गए विचारण क्षेत्र में भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो यदि सम्भव हो तो आरक्षण की अदला-बदली की जा सकती है, ताकि पद को विकलांगता की अन्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सके। यदि आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं हो तो पद को विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाए तथा आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षों तक अग्रनीत कर दिया जाए जिसके बाद वह समाप्त हो जाएगा।

(ख) अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में, विकलांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति देने पर विचार किया जायेगा। यदि विकलांगता की उपयुक्त श्रेणी का कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्ति को विकलांगता की अन्य श्रेणी जिसके पद को उपयुक्त चिन्हित किए गए हों, के साथ अदला-बदला जा सकता है। यदि अदला-बदली करके भी आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं है तो आरक्षण को अगले तीन वर्षों तक अग्रनीत किया जाएगा जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

17- विकलांग व्यक्तियों के लिए होरिजेन्टल आरक्षण -

पिछड़े वर्गों के नागरिकों (अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों) के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है और विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को होरिजेंटल आरक्षण कहा जाता है। होरिजेन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण आपस में में मिल जाते हैं जिसे इंटरलांकिंग आरक्षण कहा जाता है। और विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में से चुने गए व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए बनाए गए रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणतः यदि किसी दिए गए वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियों आरक्षित है और नियुक्त किए गए दो विकलांग व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति के विकलांग उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के बिन्दु पर समायोजित किया जाएगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर रखा जाएगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बिन्दु पर कोई रिक्ति नहीं होती है तो अनुसूचित जाति का अनारक्षित बिन्दु पर रखा जाएगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती है तो अनुसूचित जाति का विकलांग उम्मीदवार, भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा।

18- चूंकि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी में उपयुक्ततः रखा जाना होता है अतः विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना अपेक्षित होगा कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी में से किस श्रेणी से सम्बद्ध हैं।

19- आयु सीमा में छूट

(I) विकलांग व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमासे छूट संबंधी पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-16/2/1973-का-2, दिनांक 25 जनवरी, 1980 को संशोधित करते हुए नवीन शासनादेश संख्या'18/1/2008 (II)/का-2, दिनांक 03 फरवरी, 2008 निर्गत कर दिया गया है। परिणामतः भविष्य में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को राज्याधीन समूह 'क' तथा 'ख और समूह 'ग' तथा 'घ' की सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(II) आयु सीमा में उक्त छूट लागू रहेगी भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं, बशर्ते कि पद विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किया गया हो।

20- यदि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में ढ़ील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाए बशर्ते कि ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। इस प्रकार यदि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को सामान्य मानदण्डों के आधार पर नहीं भरा जा सके तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों का मानदण्डों को शिथिल करके चयन कर लिया जाए बशर्ते कि विचाराधीन पद/पदों पर नियुक्ति

हेतु ये उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाएं।

21- स्वास्थ्य परीक्षा-

पद से संबंधित संगत सेवा नियमावली के संबंधित नियम के अनुसार सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति की, एक विशिष्ट प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने हेतु उपयुक्त समझे गए पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्साधिकारी अथवा बोर्ड को इस सम्बन्ध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद संगत श्रेणी की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

22- परीक्षा शुल्क और आवेदन शुल्क में छूट -

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में विहित आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट केवल उन्ही व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो अन्यथा इस पद के लिए निर्धारित चिकित्सकीय उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर नियुक्ति के पात्र होते (विकलांग व्यक्त्यिों को दी गई किन्हीं विशिष्ट छूटों सहित) और जो अपनी विकलांगता की दावेदारी की पुष्टि के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण-पत्र अपने पत्र के साथ संलग्न करते हैं।

23- रिक्तियों हेतु नोटिस -

किसी निर्धारित पद पर विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति का उचित अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में रोजगार केन्द्रों, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग आदि को नोटिस भेजते समय तथा ऐसी रिक्तियों की विज्ञप्ति करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाए-

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की विकलांगत से ग्रस्त व्यक्तियों/श्रवणह्रास की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों/चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्टतः दर्शानी चाहिए।

(ख) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किए गए पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया जाय कि संबंधित पद दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथ चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता की विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों जैसा भी मामला हो के लिए चिन्हित किया गया है और उपयुक्त श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया है, आवेदन करने की अनुमति है भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामलों में जिन्हें विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो, चाहे रिक्तियां आरक्षित हों या न हो, यह उल्लेख किया जाए कि सम्बद्ध पद सम्बद्ध विकलांगता की श्रेणियों यथा दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से मुक्त विकलांगता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथा चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता की विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के लिए उपयुक्त पहचाना गया है। पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जाए।

(घ) यह भी दर्शाया जाए कि संगत विकलांगता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगे।

24- मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र-

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्राविधानों का सही-सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में मांगकर्ता प्राधिकारी, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग आदि के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे-

''यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग-पत्र भेजते समय उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित तथा विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियां 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर चक्र संख्या ..... के बिन्दु संख्या .....पर आती हैं और उनमें से ..... रिक्तियां विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

25- विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट-

(i) प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी के तत्काल पश्चात प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी अपने प्रशासनिक विभागों को निम्नलिखित रिपोर्ट भेजेंगे-

(क) अनुलग्नक-III में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-I जिसमें वर्ष की प्रथम जनवरी को कर्मचारियों की कुल संख्या, ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किए गए हो, तथा दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथा चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता की विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा।

(ख) निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-IV) में पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-II जिसमें पिछले कैलेण्डर वर्ष में दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथा चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता की विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा वस्तुतः नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया जाएगा।

(II) प्रशासनिक विभाग, उनके अन्तर्गत आने वाले सभी नियुक्त प्राधिकारियों से मिलने वाली जानकारी की जांच करेंगे तथा उनके अधीन सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी सहित संबंधित विभाग के सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-I तथा पी.डब्ल्यू. रिपोर्ट-II निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक विकलांग कल्याण विभाग को भिजवायेंगे।

(III) विकलांग कल्याण विभाग को उपर्युक्त रिपोर्ट भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाय :-

(क) विकलांग कल्याण विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सांविधिक, अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में रिपोर्ट नहीं भेजी जाए। सांविधिक अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकाय निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर समेकित जानकारी अपने प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे जो अपने स्तर पर उनकी जांच, मानीटरिंग तथा अनुरक्षण करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में ऐसी जानकारी एकत्रित करना सार्वजनिक उद्यम विभाग से अपेक्षित है।

(ख) संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालय केवल अपने प्रशासनिक विभागों को अपनी जानकारी भेजेंगे तथा वे इस विभाग को सीधे नहीं भेजेंगे।

(ग) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों में आरक्षण के आधार पर नियुक्त व्यक्ति एवं अन्यथा नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।

(घ) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) रिपोर्ट-I का संबंध व्यक्तियों से है न कि पदों से। अतः इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय रिक्त पदों आदि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर गए व्यक्तियों को उस विभाग/कार्यालय के अधिष्ठान में शामिल करना चाहिए। जहां उन्हें लिया गया हो न कि मूल अधिष्ठान में। किसी एक ग्रेड में स्थायी किन्तु स्थानापन्न अथवा उच्च ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को संबंधित सेवा की उच्च ग्रेड से संबंधित श्रेणी के आंकड़ों में शामिल किया जायेगा।

26- विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी-

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए भी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे।

27-

सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उपर्युक्त अनुदेशों को लायेंगे।

भवदीय
(बी. एन. दीक्षित)
सचिव

ANNEXURE

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE / HOSPITAL

Certificate No. ..... Date .....

DISABILITY CERTIFICATE

Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board.

This is certified that Shri / Smt. / Kum. ..... son / wife / daughter of Shri ..... age ..... sex ..... identification marks (s) ..... is suffering from permanent disability of following category :

A. Locomotor or cerebral palsy :
   (i) BL - Both legs affected but not arms.
   (ii) BA - Both arms affected
      (a) Impaired reach
      (b) Weakness of grip
   (iii) BLA - Both legs and both arms affected
   (iv) OL - One leg affected (right or left)
      (a) Impaired reach
      (b) Weakness of grip
      (c) Ataxic
   (v) OA - One Arm affected
      (a) Impaired reach
      (b) Weakness of grip
      (c) Ataxic
   (vi) BH - Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
   (vii) MW - Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness of Low Vision :
   (i) B - Blind
   (ii) PB - Partialy Blind

C. Hearing Impairment :
   (i) D - Deaf
   (ii) PD - Partialy Deaf
   (Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive / non - progressive / likely to improve / not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended / is recommended after a period of ..... years ..... months*

3. Percentage of disability in his / her case is ..... percent.

4. Shri./ Smt/ Kum. ..... meets the following physical requirements for discharge of his / her duties :-

(i)	F	- can perform work by manipulating with fingers .	Yes / No
(ii)	PP	- can perform work by pulling and pushing .	Yes / No
(iii)	L	- can perform work by lifting.	Yes / No
(iv)	KC	- can perform work by kneeling and crouching .	Yes / No
(v)	B	- can perform work by bending.	Yes / No
(vi)	S	- can perform work by sitting.	Yes / No
(vii)	ST	- can perform work by standing.	Yes / No
(viii)	W	- can perform work by Walking.	Yes / No
(ix)	SE	- can perform work by Seeing.	Yes / No
(x)	H	- can perform work by manipulating with fingers .	Yes / No
(xi)	RW	- can perform work by reading and writing.	Yes / No

(Dr. .....)	(Dr. .....)	(Dr. .....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the
Medical Suprintendent / CMO/Head
of Hospital (with seal)

* Strike out which is not applicable.

संख्या-18 / 1 / 2008-(1) का-2 / 2008

प्रेषक,

जे. एस. दीपक
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2008

विषय : विकलांगजनों हेतु चिन्हित पदों पर चयन से संबंधित चयन समितियों में विकलांगता के क्षेत्र के विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नामित किया जाना।

महोदय,

अवगत है कि सीधी भर्ती के प्रक्रम पर ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करें, रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए आरक्षित होगा -

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि
(ख) श्रवण ह्रास
(ग) चलनक्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

2- विकलांगों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.4.2006 को अंगीकृत करते हुए निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 18 / 1 / 2008 -का-2-2008 दिनांक 03 फरवरी, 2008 द्वारा चयन / पदोन्नति के प्रक्रम पर विकलांगों के पक्ष में आरक्षण अनुमन्य है।

3- अतः विकलांगों हेतु चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के माध्यम से सम्पन्न होने वाले चयनों में विकलांगों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजन से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी चयन समितियों में विकलांगता के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को चयन समिति में सदस्य के रूप में अनिवार्य रूप से नामित किया जाए।

4- उक्त नामांकन चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5- कृपया उपरोक्त व्यवस्था से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(जे. एस. दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या-18 / 1 / 2008-(1) का-2 / 2008, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(बी. एन. दीक्षित)
सचिव

संख्या-18 / 1 / 2008-(II) का-2 / 2008

प्रेषक,

जे. एस. दीपक
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश लखनऊ

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2008

विषय : विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु 'अधिकतम आयु सीमा में छूट'।

महोदय,

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1980 द्वारा अक्षम व्यक्तियों को राज्याधीन समूह 'क' तथा 'ख' की सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तथा समूह 'ग' और समूह 'घ' की सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा से 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

2- उक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को राज्याधीन समूह 'क' तथा 'ख' और और समूह 'ग' तथा 'घ' की सभी सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाय।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिए उपर्युक्त निर्णय की जानकारी अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को कराने एवं सभी स्तरों पर इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(जे. एस. दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या-18 / 1 / 2008-(1) का-2 / 2008, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(बी. एन. दीक्षित)
सचिव

संख्या-3/4/86- का-2/1998

प्रेषक,

सुधीर कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्याक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 1998

विषय : उ.प्र. (उ.प्र. लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 से अच्छादित पदों में चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के आदेश संख्या 3/4/86- का-2/1998 दिनांक 2 सितम्बर, 1998 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश (उ.प्र. लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह'ग' पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 से आच्छादित पदों में चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की सुविधा प्रदान की जाए तथा श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता पद के लिए निर्धारित न्यूनतम, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से दो कक्षा कम होगी। उदाहरणार्थ यदि पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट परीक्षा पास होना है तो योग्यता हाई स्कूल से अधिक नहीं होगी। यदि पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है तो श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। यदि पद के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है तो श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। इस निर्णय के आधार पर उपर्युक्त शासनादेश का बिन्दु-2 जिसमें श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना लिखा गया है को निम्नानुसार संशोधित समझा जाए।

''(2) श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से दो कक्षा कम होगी। यदि पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक डिग्री है तो (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। यदि पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना है तो श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल से अधिक नहीं होगी।''

2- कृपया शासनादेश संख्या 3/4/86- का-2/1998 दिनांक 2 सितम्बर, 1998 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। इस शासनादेश की अन्य शर्ते/निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

भवदीय
(सुधीर कुमार)
सचिव

संख्या-3/4/86- का-2/1998, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0 प्र0 शासन।
3. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0 प्र0।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ
7. निदेशक, इमडप, उ0प्र0
8. सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद/लखनऊ
9. प्रशासक, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(डा. जी.सी. पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-2955 / 9-2-2004-182ज / 2004

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय, उ0प्र0
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2004

विषय : दृष्टिहीन / विकलांगों को भवन कर, जल कर से छूट दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 8 / 2718 / नि0स0 / गृहकर आरोपण / कर छूट / 2004-05, दिनांक 01.10.2004 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-221(3) एवं नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-157 (3) के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल प्रदेश के दृष्टिहीनों एवं विकलांगों को निम्न व्यवस्थानुसार गृहकर एवं जलकर से छूट दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

''शत प्रतिशत दृष्टिहीन एवं विकलांग को शत प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत
दृष्टिहीन एवं विकलांगों को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।

कृपया उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी नगर निगमों / नगर पालिकाओं / नगर पंचायतों के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय
(दिनेश चन्द्र मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-2955 / नौ-9-2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त।
5. समस्त जिलाधिकारी।
6. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)
8. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उ0 प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(दिनेश चन्द्र मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-1967 / 9-आ1-2001-6-रिट / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग- 1 लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2001

विषय : समाज के विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशक्त, जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-43 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को आवास, व्यवसाय, मनोरंजन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र तथा उद्योग केन्द्र आदि लगाने हेतु मान्यता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में एक योजना बनाए जाने की अपेक्षा की गई है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद की एक उप समिति का गठन किया गया था। उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर माननीय मंत्रि परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों में एक निर्णय यह भी था कि विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि / भवन आवंटन करने के संबंध में योजना बनाकर कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ में विचाराधीन याचिका संख्या - 361(एम.बी.) / 2000 राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.1.2000 द्वारा राज्य सरकार को एक योजना तैयार करने के आदेश दिए गए थे। उक्त योजना को समुचित रूप से तैयार करने हेतु आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसकी संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिए गए हैं -

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन / भूखण्डों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा जो होरिजेन्टल प्रकृति का होगा। इस संबंध में शासनादेश संख्या-2680 / 9-आ-1-98-42 विविध / 96, दिनांक 31.08.1998 द्वारा पूर्व में ही विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत का वर्टिकल आरक्षण एवं 3 प्रतिशत में होरिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तद्नुसार उक्त शासनादेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है।

(2) दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) के सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को भवन / भूखण्ड के मूल्य में 10 प्रतिशत एवं गम्भीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जायेगी। दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के वर्गीकरण हेतु आमदनी की सीमा सामान्य से 1.5 गुना होगी। अर्थात यदि दुर्बल आय वर्ग की सामान्य आय सीमा रू. 1200 / - प्रतिमाह है तो इस प्रयोजन हेतु वह सीमा रू. 1800 / - प्रतिमाह होगी।

(3) निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा-43 में विकलांगों के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु रियायती दर पर भूमि के आंवटन की अपेक्षा की गई है -

(1) व्यापार / उद्योग की स्थापना।
(2) विशेष मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना।
(3) विशेष विद्यालयों / पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना।
(4) अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना।
(5) विकलांगों उद्यमियों द्वारा कारखानों की स्थापना।
(6) पुर्नवास, गतिशीलता, सहायतात्मक युक्तियों के लिए कार्यशालाओं की स्थापना।

उपरोक्त प्रयोजनों हेतु अर्ह संस्थाओं को भूखण्डों के आंवटन में रियायत प्रदान करते हुए सेक्टर दर के 30% मूल्य पर निम्नलिखित शर्तो के साथ आवंटन किया जायेगा।

1. केवल वही संस्थाएं होगी जो निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा-52 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत हो। वित्तीय रियायत केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध होगी जिनके कार्यों के लाभार्थी शत-प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ही हो।
2. कोई भी भूखण्ड एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल का नहीं होगा।
3. ऐसी सम्पत्तियां केवल लीज पर दी जायेंगी और उन्हें फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा क्योंकि आवंटन विशिष्ट प्रयोजन हेतु रियायती दर पर किया जा रहा है।
4. अधिनियम की धारा-52 के अन्तर्गत पंजीकरण समाप्त होने अथवा निरस्त किए जाने की स्थिति में लीज स्वतः समाप्त मानी जायेगी और ऐसी तिथि से तीन महीने की अवधि में भूमि रिक्त अवस्था में प्राधिकरण को वापस कर दी जायेगी अन्यथा प्राधिकरण उस पर स्वयं कब्जा करने के लिए अधिकृत होगा।

उपरोक्त संस्थाओं को भूखण्ड आंवटित करने के लिए निम्न प्रक्रिया/व्यवस्था निर्धारित की जाती है-

1. प्रत्येक आवासीय योजना के ''इंस्टीट्यूशनल'' एरिया में 3% भूमि भूखण्ड के रूप में ऐसी संस्थाओं को आवंटन हेतु आरक्षित की जायेगी।
2. उपलब्ध भूखण्ड के आवंटन हेतु सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे। प्राप्त आवेदनों में अर्ह संस्थाओं को छांटने के उपरान्त उनका चयन प्राधिकरण/परिषद् द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें अन्य सदस्यों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा-60 में नियुक्त आयुक्त अथवा नामित व्यक्ति अवश्य सम्मिलित होगा।

(4) उपर्युक्त आवंटन के फलस्वरूप आने वाले व्ययभार का वित्त पोषण 'क्रास सब्सिडी' के माध्यम से किया जायेगा, जो पूरी योजना पर डाला जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं में भूमि/भवन के विक्रय मूल्य का पुर्नमूल्याकंन किया जाए और उक्त रियायत को विक्रय हेतु उपलब्ध शेष भूमि/भवन पर भारित किया जाए। उदाहरण स्वरूप 3% आरक्षण इस श्रेणी के लिए उपलब्ध होगा तो भूमि की कास्टिंग में 3% मूल्य इस रियायत हेतु भारित किया जायेगा। क्रास सब्सिडी का भार सीमा में रहे इसलिए प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जा सकेगा जहां पर 50% से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु अभी शेष है। इसलिए ऐसी ही योजनाओं में उपरोक्त व्यवस्थाएं लागू होंगी। प्राधिकरण/परिषद् तत्काल योजनाओं को इस दृष्टि से समीक्षा करले तथा सूची तैयार करें कि किन-किन योजनाओं में व्यक्तिगत आरक्षण एवं किन योजनाओं में संस्थागत आरक्षण एवं किन योजनाओं में संस्थागत आरक्षण उपलब्ध होगा।

अतः कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या-1967/9-आ-1-2001, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
3. समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से
(अमिताभ त्रिपाठी)
अनु सचिव

संख्या-786 / आठ-1-08-25 विविध / 07

प्रेषक,

आर. के. सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2008

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 1967 / 9-आ-1-01-6 रिट / 2000, दिनांक 27.04.01 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2002-03 में दृष्टीन संघ की मांगों पर की गई घोषणाओं / आश्वासनों आदि की समयबद्ध ढंग से पूर्ति किए जाने हेतु मा. अध्यक्ष उ.प्र. राज्य सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों में विकलांगजन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 3 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा विकलांगजन अधिनियम, 1995 की धारा-43 के अनुसार आवश्यक रियायतें दी जाएं।

3- इस संबंध में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.01 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि व्यवसायिक तथा समस्त आवासीय भवनों / भूखण्डों पर सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को 10 प्रतिशत तथा गंभीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाये। उपुर्यक्त रियायत के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार का वित्त पोषण पूर्व व्यवस्था की भांति 'क्रास सब्सिडी' के माध्यम से किया जायेगा, जो सम्पूर्ण योजना पर डाला जायेगा। 'क्रास सब्सिडी' का भार सीमा में रहे, अतः प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जायेगा, जहां 50 प्रतिशत से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु अभी शेष हो।

4- संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.01 में की गई व्यवस्थाओं को पुनः स्पष्ट करते हुए निदेशित किया जाता है कि विकलांग आवेदकों को उपलब्ध 3 प्रतिशत का हॉरिजेन्टल आरक्षण प्रत्येक श्रेणी (ई.डब्ल्यूएस., एल.आई.जी., एम.आई.जी. एवं एच.आई.जी. तथा व्यवसायिक) के भवनों / भूखण्डों पर लागू है।

5- संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.01, उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है, उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थाएं यथावत् प्रभावी रहेंगी।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(आर. के. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-786(1) / आठ-1-08, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड फाइल

आज्ञा से
(आर. के. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-1900 / आठ-1-09-25 विविध / 07

प्रेषक,

एच. पी. सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2009

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-786 / आठ-1-08-25 विविध / 07, दिनांक 30.01.2008 द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था की गई है कि व्यवसायिक तथा समस्त आवासीय भवनों / भूखण्डों पर सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को 10 प्रतिशत तथा गंभीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाए तथा उक्त रियायत के फलस्वरूप आने वाले भार का वित्त पोषण पूर्व व्यवस्था की भांति 'क्रास-सब्सिडी' के माध्यम से किया जाएगा, जो सम्पूर्ण योजना पर डाला जायेगा। 'क्रास-सब्सिडी' का भार सीमा में रहे, अतः प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जायेगा, जहां 50 प्रतिशत से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु उपलब्ध हो। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह पाया गया है कि जिन योजनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु शेष नहीं है, उन योजनाओं में विकलांगजनों को उक्त आरक्षण एवं मूल्य में रियायत का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवंटी विकलांगजनों को उपरोक्त छूट देते हुए 'क्रास-सब्सिडी' की धनराशि को उसी योजना में अवशेष अनिस्तारित सम्पत्तियों पर भारित किया जायेगा। यदि उस योजना में विक्रयशील परिसम्पत्तियां अवशेष नहीं रह गई हों, तो अन्य योजनाओं, जहां पर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा / सम्पत्तियां निस्तारण हेतु शेष हों, उन पर भारित किया जाए। जहां तक अन्य श्रेणी के भवन / भूखण्डों को विकलांगजन आवंटियों को उल्लिखित छूट देने का प्रश्न है, परिषद / विकास प्राधिकरण की नयी योजनाओं में सभी वर्ग के विकलांगजन आवंटियों को दी जाने वाली रियायत की धनराशि को 'क्रास-सब्सिडी' के माध्यम से भारित किया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें।

भवदीय
(एच. पी. सिंह)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन। 3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक (अनुश्रवण) आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबधितों को सूचित करने का कष्ट करें। 8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(एच. पी. सिंह)
अनु सचिव

संख्या-130 सीएम/2अ-5-94/08

सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ
2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 1994

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकारणों द्वारा विकसित/ निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नगर विकास अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 3840/1-5-86-18-रिश/98 दिनांक 4.6.86 में निर्गत आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन एवं विकास एरिया तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा, विकसित/निर्मित, आवासीय/व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में निम्नलिखित आरक्षित वर्गों के लिए उनके सम्मुख अंकित प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

क्रम सं.	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जन जाति	02 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
4.	विधायक, सासंद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05 प्रतिशत
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं	05 प्रतिशत
6.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, सरकारी निकाओं के कर्मचारी	02 प्रतिशत
7.	भूतपूर्व सैनिक तथा उनके आश्रित	03 प्रतिशत
8.	समाज के विकलांग	01 प्रतिशत

उक्त आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की उपलब्धता कराए जाने वाले आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों की निहित दरों में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

3. जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य है, इनकी सूची उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994) अधिनियम संख्या 4 सन 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरक्षित वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या उनके लिये आरक्षित भवनों/भूखण्डों की संख्या से कम होती है, तो ऐसी आरक्षित सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

5. उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-5

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या - क0 नि0-5-403 / 11-2005-500(104)-2004

लखनऊ, 19 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, और अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-2707 / 11-2005-500 (104) / 2004 दिनांक 15 जुलाई, 2005 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 29 के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन गठित और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (अधिनियम संख्सा 1 सन् 1956) के अधीन गठित और औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 100 प्रतिशत दृष्टिहीन / विकलांग व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किसी भवन या भूखण्ड के अंतरण के लिए हस्तान्तरण की लिखत या पट्टा धृत अधिकारों का पूर्ण स्वामित्व अधिकारों की समपरिवर्तन की लिखत पर अनुच्छेद-23 के (खण्ड-क) के अधीन प्रमार्य या अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा की लिखत पर आवंटिती दस लाख रूपए के मूल्य तक की अचल सम्पत्ति पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को माफ करते हैं। यदि ऐसी अचल सम्पत्ति का मूल्य दस लाख रूपए से अधिक हो तो आवंटिती को ऐसी अचल सम्पत्ति के उस मूल्य पर जो दस लाख से अधिक हो, तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा।

परन्तु यह कि यदि आवंटिती दस वर्ष के भीतर 100 प्रतिशत दृष्टिकोण / विकलांग व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को आवंटिती सम्पत्ति का अन्तरण करता है तो क्रेता को प्रथम लिखत पर संदेह पूर्ण स्टाम्प शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दृष्टिहीनता / विकलांगता प्रमाण-पत्र का परिशीलन कर सकता है। दृष्टिहीनता / विकलांगता प्रमाण-पत्र के संबंध के संदेह की स्थिति में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र को मांग सकता है, और द परसन्स विद डिसएविल्टीज (इक्वल अपराचयूनिटीज, प्रोटेक्शन आफ राइट्स एण्ड फुल पार्टीसिपेशन) / एक्ट 1995 (एक्ट नम्बर 1 आफ 1996) के अधीन उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा जारी अद्यतन शासनादेशों के अधीन उसका परीक्षण कर सकता है।

आज्ञा से
(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या-क0नि0-5-4031 / 11-2008, लखनऊ, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008

प्रतिलिपि : अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक दिसम्बर 2008 व असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की दो सौ प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय एवं एक सौ प्रतियां शासन के वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग को उपलब्ध कराएं।

आज्ञा से
(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्याः क0नि0-5-4031 / 11-2008, लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर, 2008।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन। 3. प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन। 4. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन। 5. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उ0 प्र0 शासन। 6. प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश, राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश। 7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 8. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 10. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।

11. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
12. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से
(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या वे0आ0-2-501/दस-2005-44/2001 टी0सी0

प्रेषक,

श्री मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव-II वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव/प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2 लखनऊः दिनांक 11 मई, 2006

विषय : रिट याचिका संख्या 6193 (एस/एस)/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2005 के अनुपालन में दृष्टिहीन कुर्सी बुनकर के पदों के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर निर्णय लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर प्रदेश के दृष्टिहीन कुर्सी बुनकर के पदों के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये है-

1. राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 6193 (एस/एस)/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2005 को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के नेत्रहीन कुर्सी बुनकर के पदों पर दिनांक 16.9.1993 से रू. 775-1025 एवं दिनांक 1.1.1996 से रू. 2610-3540 का वेतनमान अनुमन्य कराया जाये।

2. भविष्य में नेत्रहीन कुर्सी बुनकर के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा-3 उत्तीर्ण एवं सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का कार्य अनुभव निर्धारित किया जाये। सम्बन्धित विभाग इन पदों हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित अर्हता का संशोधन सम्बन्धित नियमावली में यथाशीघ्र करा लेंगे।

2. उपरोक्तानुसार दिनांक 16.91993 से संशोधित किये गये वेतनमानों में सम्बन्धित पदधारक का वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश-4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी पदधारक का वेतन निर्धारण उसके द्वारा पूर्ण आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है, तो अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य कराते हुए उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा। वैयक्तिक वेतन की धनराशि कर समायोजन आगामी वेतन वृद्धि में कर लिया जायगा। सम्बन्धित पदधारक को मूल नियम-23 (1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार प्रदान किया जायेगा। अर्थात वह दिनांक 18.9.1993 अथवा अपनी आगामी किसी वेतन वृद्धि के दिनांक से संशोधित वेतनमान का विकल्प चुन सकता है। दिनांक 1.1. 1996 से संशोधित किये गये वेतनमानों में वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या प0मा0नि0-357/दस21(एम)/97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
श्री मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव-II

संख्या वे0आ0-2-501/दस-2005-44/2001 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से
ह0
(नरेन्द्र कुमार)
उपसचिव।

संख्या वे0आ0-2-873 / दस-2007-44 / 2001 टी0सी0

प्रेषक,

श्री डी0 दीप्ति विलास
प्रमुख सचिव-II वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव / प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2 लखनऊः दिनांक 12 सितम्बर, 2007

विषय : रिट याचिका संख्या 6193 (एस / एस) / 2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2005 के अनुपालन में दृष्टिहीन कुर्सी बुनकर के पदों के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर निर्णय लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा रिट याचिका संख्या 6193 (एस एस) / 2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2005 के अनुपालन के दृष्टिगत की गई संस्तुतियों पर प्रदेश के दृष्टिहीन कुर्सी बुनकर के पदों पर शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-501 / दस-2005-44 / 2001टीसी, दिनांक 11 मई 2006 द्वारा दिनांक 16.9.1993 से रू. 775-1025 एवं दिनांक 1.1.1996 से रू. 2610-3540 का वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के कार्यान्यवन हेतु निर्गत होने वाले शासनादेशों को वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने के प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप कतिपय विभागों द्वारा इस निर्णय को लागू किये जाने हेतु निर्गत होने वाले शासनादेश के निर्गमन में विलम्ब किये जाने से इस निर्णय से आच्छादित कार्मिकों को मिलने वाले लाभ में विलम्ब हो रहा है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि शासनादेश संख्या - वे0आ0-2-501 / दस-2005-44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 11 मई 2006 के उक्त प्रतिबन्ध विषयक प्रस्तर-3 को विलुप्त माना जाए। उपर्युक्त शासनादेश में वर्णित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय

डी0 दीप्ति विलास
प्रमुख सचिव-II

संख्या वे0आ0-2-873 (1) / दस-2005-44 / 2001 टी0सी0, तद्दिनांक
प्रतिलिपि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से
(भगवान दास)
उपसचिव

संख्या-311 / 9-6-2008-162 सा / 01टीसी

प्रेषक,

जगन मैथ्यूज,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 01 जनवरी, 2008

विषय : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उचित दर दुकानों के आवंटन में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वित किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2715 / 29 - 6 -2002 -162 सा. / 01 दिनांक 17 अगस्त, 2002, शासनादेश संख्या 2714 / 29-6-2002-162सा. / 01, दिनांक 17 अगस्त, 2002 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 744 / 29-6-2003-162सा. / 01 दिनांक 21 फरवरी, 2003 का कृपया

संदर्भ ग्रहण करें जिनके द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उचित दर दुकानों के आवंटन में आरक्षण व्यवस्था लागू करने एवं उसे कार्यान्वित किए जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उपरोक्त इंगित शासनादेश दिनांक 17.8.2002 द्वारा आरक्षण के संबंध में निम्नवत व्यवस्था की गई है -

1.	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़े वर्ग	27 प्रतिशत

उपर्युक्तानुसार आरक्षित श्रेणियों में निम्नलिखित होरिजेन्टल आरक्षण भी अनुमन्य किया गया है :-

(क)	संबंधित आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को	20 प्रतिशत
(ख)	संबंधित आरक्षित श्रेणी के लड़ाई में मारे गए सैनिक परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल हुए सैनिक परिवार के सदस्य, भूतपूर्व सैनिक	
(ग)	संबंधित आरक्षित श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी पत्नी	05 प्रतिशत
(घ)	संबंधित आरक्षित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को	02 प्रतिशत

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के आवंटन हेतु उपरोक्तानुसार की गई व्यवस्था के अन्तर्गत आरक्षित श्रेणियों में होरिजेन्टल आरक्षण भी अनुमन्य है जिसके अन्तर्गत संबंधित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को 02 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। दृष्टिबाधित विकलांगों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दृष्टिबाधित विकलांगों को भी होरिजेन्टल आधार पर 01 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाये। इस प्रकार अब विकलांगजनों को 02 प्रतिशत के स्थान पर 03 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य होगा तथा इस प्रकार बढ़ाया गया 01 प्रतिशत का आरक्षण केवल दृष्टिबाधित विकलांगों को ही अनुमन्य होगा। इस प्रकार उपरोक्त इंगित शासनादेश के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-घ के बाद उप प्रस्तर-3 (ड) जोड़ते हुए दृष्टिबधित व्यक्तियों को 01 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाये।

3- इस प्रकार होरिजेन्टल आरक्षण 35 प्रतिशत के स्थान पर 36 प्रतिशत हो जायेगा जो आरक्षित श्रेणी की कुल 50 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत है।

4- इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उपरोक्त आरक्षण के अनुसार राशन की दुकान आवंटित होने पर बैंक में पैसा जमा करना, बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट बनवाना, गोदाम से माल उठाकर दुकान पर लाना एवं कार्डधारकों को खाद्यान्न आदि का वितरण तथा बिक्री अभिलेख अद्यतन करने जैसे कई कार्य है जो शिक्षित होने के बावजूद दृष्टिहीन विकलांग बिना अधिकृत सहायक के नहीं कर सकता है। अतः दृष्टिबाधित उचित दर पर दुकानदार को अपनी सहायता के लिए एक सहायक रखना भी अनुमन्य होगा। इस प्रकार रखे गए सहायक को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

5- कृपया तद्नुसार आरक्षण के संबंध में निर्गत पूर्व शासनादेश इस सीमा तक यथासंशोधित समझे जाये।

भवदीय

(जगन मैथ्यूज)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त, खाद्य उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
(बी. बी. सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-507 / 15-2-08-27 (13) / 2004

प्रेषक,

अनवारूल हक
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा.)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2008

विषय : दृष्टिबाधित शिक्षकों को वाचक भत्ता दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ-1-2 / 92 (पीएस) दिनांक 5.6.99 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन दृष्टिबाधित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को वाचक भत्ता की सुविधा प्रदान की जाती है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न्क : उपरोक्तानुसार

भवदीय
ह0-
(अनवारूल हक)
विशेष सचिव

पृष्ठाकंन संख्या - सा. (1) शिविर / 19020-132 / 2007-2008 दिनांक : फरवरी 01, 2008

उपर्युक्त प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित अधिकारियों को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक / महिला / पत्राचार), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा.) उत्तर प्रदेश।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. सहायक शिक्षा निदेशक (से.-1), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8. वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक / बेसिक / एस.सी.ई.आर.टी.) । साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा),उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(श्रीमती शकुन्तला देवी यादव)
उप शिक्षा निदेशक (महिला)
कृते शिक्षा निदेशक (मा.) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Ph. : 3231092, 3230895, 3235743

UNIVERSTITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI- 110 002

No. F. 1-2/92 (PS) Dt. 5/6/99

Sub : Financial assistance to blind teachers.

Sir/ Madam,

In continuation to the UGC circular of even number dated July, 1992 on the above subject, the Commission in its meeting held on 15.3.99 was pleased to enhance the amount of financial assistance to be paid to blind teacher working in the Universities / colleges to Rs. 6,000/- per annum for reader's allowance, purchase of Braille books, record materials etc.

The assistance shall be provided as per the procedure indicated in the enclosed guidelines and shall be applicable from 1999-2000 onwards. The proposal for claiming financial assistance on this account may be sent to the University Grants commission for further necessary action.

The Universities shall also bring it to the notice of all Colleges affiliated to them. However, the proposals of the Colleges shall be sent to the respective Regional Offices of the UGC for necessary action.

Yours faithfully

Dr. (Mrs.) Pankaj Mittal
Deputy Secretary

Enclo: above